भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-148

दिनांक 20 जुलाई, 2026 को उत्तरार्थ

तमिलनाडु में बार-बार होने वाली पारेषण बाधाओं और नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन में कटौती

148. श्री एस. कल्याणसुन्दरम:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केंद्र सरकार तमिलनाडु राज्य में सौर एवं पवन ऊर्जा के चरम उत्पादन अवधि के दौरान बार-बार उत्पन्न होने वाली पारेषण बाधाओं तथा नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन में कटौती की समस्या से अवगत है;

(ख) तमिलनाडु में राज्य के भीतर पारेषण, उप-केंद्रों और विद्युत निकासी गलियारों के सुदृढ़ीकरण के लिए आरडीएसएस और अन्य योजनाओं के अंतर्गत संस्वीकृत, जारी और उपयोग की गई केंद्रीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार डिस्कॉम की वित्तीय स्थिति की रक्षा करते हुए, विद्युत उत्पादन की अनियमितता के समाधान और कटौती को रोकने के लिए ग्रिड-स्तरीय भंडारण, पंप्ड हाइड्रो भंडारण और ग्रिड संतुलन तंत्र स्थापित करने का विचार रखती हैं; और

(घ) तमिलनाडु में घरेलु उपभोक्ताओं, एमएसएमई और अत्यधिक ऊर्जा खपत वाले उद्योगों के लिए विश्वसनीय आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु दक्षिणी क्षेत्रीय ग्रिड क्षमता के उन्नयन की समय-सीमा क्या हैं?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : वर्तमान में तमिलनाडु में अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) के साथ एकीकृत नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) उत्पादन में कोई कटौती नहीं है। हालांकि, तमिलनाडु विद्युत बोर्ड (टीएनईबी) लिमिटेड द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 400 केवी कनार्पट्टी- अभिषेकापट्टी लाइन के ओवरलोडिंग के कारण उच्च पवन और सौर मौसम के दौरान अंत:-राज्यीय पारेषण प्रणाली (आईएनएसटीएस) में आरई कटौती का अनुभव किया जाता है, जहां बे विस्तार कार्य कार्यान्वयनाधीन हैं।

(**ख) :** (i) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) की ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर (जीईसी) स्कीमों के चरण-1 और चरण-2 के तहत तमिलनाडु राज्य में आईएनएसटीएस को सुदृढ़ करने के लिए केंद्रीय वित्त सहायता (सीएफए) के रूप में 766.86 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें से 529.28 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

(ii) तमिलनाडु राज्य के लिए संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) के तहत, परियोजनाओं के लिए 28,803 करोड़ रुपये का कुल परिव्यय स्वीकृत किया गया है, जिसमें 9,568 करोड़ रुपये हानि न्यूनीकरण कार्यों के लिए हैं और 19,235 करोड़ रुपये स्मार्ट मीटरिंग परियोजनाओं के लिए हैं। दिनांक 30.06.2026 तक, 9,139 करोड़ रुपये के स्वीकृत सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) में से, 1,498 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं, और 1,106 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया है।

(ग) : नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से जुड़ी रुकावट को दूर करने और विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ग्रिड-स्केल ऊर्जा भंडारण और हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा समाधानों को बढ़ावा दे रही है। इस संबंध में:-

(i) केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग ने कनेक्टिविटी और अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली (तीसरा संशोधन) विनियम, 2025 तक सामान्य नेटवर्क पहुंच के माध्यम से सौर-घंटे और गैर-सौर-घंटे कनेक्टिविटी की शुरुआत की है, जिससे पारेषण अवसंरचना का इष्टतम उपयोग और सौर, पवन और बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (बीईएसएस) के संयोजन वाली हाइब्रिड नवीकरणीय परियोजनाओं को बढ़ावा मिलेगा। दिनांक 15.07.2026 के रूप में, 71जीडब्ल्यू/185 जीडब्ल्यूएच की बीईएसएस क्षमता से जुड़ी 276 आवेदन प्राप्त हुई हैं।

(ii) केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने वर्ष 2025-26 से वर्ष 2035-36 के दौरान लगभग 100 गीगावाट पंप भंडारण परियोजना (पीएसपी) क्षमता के एकीकरण के लिए एक रोडमैप तैयार किया है, जिसमें तमिलनाडु में चिन्हित गए लगभग 21.3 गीगावाट पीएसपी क्षमता शामिल है। इन पीएसपी से विद्युत निकासी के लिए संबंधित पारेषण प्रणाली की योजना बनाई जाएगी और संबंधित परियोजनाओं और प्रणाली आवश्यकताओं की प्रगति के अनुरूप चरणबद्ध तरीके से विकसित की जाएगी।

(iii) देश में आरई के एकीकरण को सुविधाजनक बनाने के लिए कुल 43.8 गीगावाट क्षमता की स्थापना के लिए ₹9,160 करोड़ के बजटीय सहायता के साथ दो व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ) स्कीमें कार्यान्वित की जा रही हैं। तमिलनाडु को ₹540 करोड़ के वीजीएफ के साथ 2,500 गीगावाट क्षमता आवंटित की गई है।

(घ) : दक्षिणी क्षेत्रीय ग्रिड उच्च क्षमता वाले पारेषण कॉरिडोर के माध्यम से राष्ट्रीय ग्रिड के साथ अच्छी तरह से संबद्ध है, जिसमें 765 केवी और 400 केवी एसी पारेषण लाइनें और ±800 केवी एचवीडीसी प्रणाली शामिल हैं, जो दक्षिणी क्षेत्र और अन्य राज्यों/क्षेत्रों के बीच आईएसटीएस नेटवर्क के माध्यम से विद्युत के अंतरण की सुविधा प्रदान करते हैं। विश्वसनीयता और सुरक्षा के साथ उभरते विद्युत अंतरण परिदृश्यों के समाधान हेतु लगातार आधार पर विद्युत अंतरण क्षमता को सुदृढ़ किया जाता है।

इसके अलावा, विभिन्न अंतर-क्षेत्रीय लिंक, जिनमें नरेंद्र-पुणे 765 केवी डबल सर्किट (डी/सी) लाइन, अंगुल-श्रीकाकुलम 765 केवी दूसरी डी/सी लाइन एवं बीदर-परली 765 केवी डी/सी लाइन कार्यान्वयनाधीन हैं, ताकि मांग के चरम मौसम के दौरान दक्षिणी क्षेत्र की आयात आवश्यकताओं को सुविधाजनक बनाया जा सके।

****